

25.04.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी कम्पनी की ओर से श्री योगेश कुमार भट्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण को वापस लेने की मंजूरी प्रदान करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण को विद्रोवल किए जाने से प्रार्थी का यह राजस्व विविध प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही

